न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट जिला फलोदी

पिठासीन अधिकारी - मांगीलाल (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :- 247/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अमेदाराम पुत्र पेमाराम 2. प्रकाश भाम्भु पुत्र पनाराम जाति जाट निवासी घमण्डाणियो की ढाणी तहसील लोहावट जिला फलोदी।		1. पनाराम पुत्र बलुराम 2. पेमाराम पुत्र बलुराम जाति जाट निवासी घमण्डाणियो की ढाणी तहसील लोहावट जिला फलोदी। 3. मानाराम पुत्र पनाराम 4. भगवानाराम पुत्र पेमाराम 5. रामूदेवी पत्नि पूनाराम जाति जाट निवासी घमण्डाणियो की ढाणी तहसील लोहावट जिला फलोदी। 6. तहसीलदार लोहावट भूमिधारी सरकार।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-

1. अधिवक्ता वादीगण :- श्री अशोक कुमार कड़वासरा
2. प्रतिवादीगण की तरफ से कोई हाजिर नही - एक पक्षीय।

निर्णय

दिनांक :- 29.5.24

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल लोहावट जाटावास के राजस्व ग्राम घमण्डाणियो की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 577 रकबा 4.6620 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 578 रकबा 5.3499 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारो की स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण संख्या 01 का 1/8 हिस्सा व वादीगण संख्या 02 का 1/8 हिस्सा बन्ट आता है। तथा वादीगण अब बालिग है। राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 01 का नाम

उम्मेदाराम पुत्र पेमाराम व वादी संख्या 02 का नाम प्रकाशचन्द्र पुत्र पनाराम दर्ज है ओर दोनो वादीगण रेकॉर्ड में नाबालिग दर्ज है जबकी वादीगण अब बालिग हो गये है ओर वादी संख्या 01 का सही नाम अमेदाराम व वादी संख्या 02 का सही नाम प्रकाश भाम्भु है तथा जमाबन्दी के अलावा अन्य सभी दस्तावेजात में वादीगण के सही नाम अंकित है। राजस्व रेकॉर्ड में वादी संख्या 01 अपना नाम उम्मेदाराम के स्थान पर अमेदाराम व वादी संख्या 02 प्रकाशचन्द्र के स्थान पर प्रकाश भाम्भु दर्ज करवाने व जमाबन्दी में नाबालिग वल्ली का इन्द्राज हटाने के लिए यह वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भेजकर तलब किया गया। अधिवक्ता वादीगण ने प्रतिवादीगण को भेजे गये सम्मन की डाक रशिदे न्यायालय में प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की गयी। प्रतिवादीगण तामिली के पश्चात भी न्यायालय में उपस्थित नही आने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली साक्ष्य वादीगण के लिए नियत की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने साक्ष्य में वादी अमेदाराम व पनाराम पुत्र बलुराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किये गये। गवाह वादी अमेदाराम व पनाराम के बयान कलमबद्ध किये गये दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गये। जिसमें वादग्रस्त खसरान की जमाबन्दीया ईएक्सपी-1 व 2 है तथा वादी अमेदाराम का आधार कार्ड ईएक्सपी-3, पहचानपत्र ईएक्सपी-4, राशनकार्ड ईएक्सपी-5,पैन कार्ड ईएक्सपी-6, यूको बैक खाता पासबुक ईएक्सपी-7,राजस्थान स्टेट ऑपन स्कुल की अंकतालिका ईएक्सपी-8,स्थानान्तरण पत्र ईएक्सपी-9,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका ईएक्सपी-10 है तथा वादी प्रकाश भाम्भु के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका ईएक्सपी-11, उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका ईएक्सपी-12,मूल निवास पत्र ईएक्सपी-13, पहचान पत्र ईएक्सपी-14,आधार कार्ड ईएक्सपी-15, यूको बैक खाता पासबुक ईएक्सपी-16,राशनकार्ड ईएक्सपी-17 प्रदर्श किये गये। तथा तुलछाराम पुत्र रूपाराम का शपथ पत्र शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अतिंम बहस के लिए नियत की गयी।

अधिवक्ता वादीगण की अंतिम बहस सुनी गयी।

अधिवक्तवा वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि तहसील लोहावट के पटवार मण्डल लोहावट जाटवास के राजस्व ग्राम घमण्डाणियो की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 577 रकबा 4.6620 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 578 रकबा 5.3499 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी

Scanned with CamScanner

अधिकारी की स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण संख्या 01 का 1/8 हिस्सा व वादीगण संख्या 02 का 1/8 हिस्सा बन्द आता है। तथा वादीगण अब बालिग है। राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में वादी संख्या 01 का नाम उमेदाराम पुत्र पेमाराम व वादी संख्या 02 का नाम प्रकाशचन्द्र पुत्र पनाराम दर्ज है और दोनो वादीगण रेकॉर्ड में नाबालिग दर्ज है जबकी वादीगण अब बालिग हो गये है और वादी संख्या 01 का सही नाम अमेदाराम व वादी संख्या 02 का सही नाम प्रकाश भागभु है तथा जमाबन्दी के अलावा अन्य सभी दस्तावेजात में वादीगण के सही नाम अंकित है। जो वादीगण ने अपने साक्ष्य और सबुतो से बखुबी प्रमाणित किया है राजस्व रेकॉर्ड में वादी संख्या 01 अपना नाम उमेदाराम के स्थान पर अमेदाराम व वादी संख्या 02 प्रकाशचन्द्र के स्थान पर प्रकाश भागभु दर्ज करवाने व जमाबन्दी में नाबालिग वल्दी का इन्द्राज हटाये जाने का आदेश फरमाया जाकर वाद अंतिम डिक्री किया जावें।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन वादीगण के सभी दस्तावेजात में अमेदाराम व प्रकाश भागभु दर्ज है जबकी राजस्व रेकॉर्ड में वादीगण का नाम उमेदाराम व प्रकाशचन्द्र दर्ज है वादीगण राजस्व रेकॉर्ड में अपना नाम सही दर्ज करवाना चाहते है। चूंकि वादीगण के अन्य दस्तावेजात एवं राजस्व रेकॉर्ड में नाम भिन्नता के कारण इन्ही समस्याओ का सामना करना पड़ता है और राजस्व रेकॉर्ड में नाम सही दर्ज करने से अन्य खातेदारो के खातेदारी अधिकारो पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ता है। वादीगण राजस्व रेकॉर्ड में अपना नाम सही दर्ज करवाने के अधिकारी है। तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और सबुतो से प्रमाणित है कि वादीगण वर्तमान में बालिग है। इसलिए राजस्व जमाबन्दी से नाबालिग का इन्द्राज हटाया जाना उचित है। वादीगण का वाद नैसर्गिक न्याय के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तहसील लोहावट के राजस्व ग्राम घमण्डणियो की ढाणी में स्थित खसरा नम्बर 577 रकबा 4.6620 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 578 रकबा 5.3499 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित उमेदाराम पुत्र पेमाराम नाम के स्थान पर अमेदाराम पुत्र पेमाराम व प्रकाशचन्द्र पुत्र पनाराम नाम के स्थान पर प्रकाश भागभु पुत्र पनाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार लोहावट को आदेश किया जाता है कि उक्त खसरान

के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित उम्मेदाराम पुत्र पेमाराम नाम के स्थान पर अमेदाराम पुत्र पेमाराम व प्रकाशचन्द्र पुत्र पनाराम नाम के स्थान पर प्रकाश भाम्भु पुत्र पनाराम दर्ज किया जावें तथा इनके नाम के आगे अंकित नाबालिग वल्ली इन्द्राज को डिलिट किया जाकर रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मांगीलाल (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम लोहावट जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 247/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अमेदाराम पुत्र पेमाराम 2. प्रकाश भाम्भु पुत्र पनाराम जाति जाट निवासी घमण्डाणियो की ढाणी तहसील लोहावट जिला फलोदी।		1. पनाराम पुत्र बलुराम 2. पेमाराम पुत्र बलुराम जाति जाट निवासी घमण्डाणियो की ढाणी तहसील लोहावट जिला फलोदी। 3. मानाराम पुत्र पनाराम 4. भगवानाराम पुत्र पेमाराम 5. रामूदेवी पत्नि पूनाराम जाति जाट निवासी घमण्डाणियो की ढाणी तहसील लोहावट जिला फलोदी। 6. तहसीलदार लोहावट भूमिधारी सरकार।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे हाजिर अशोक कुमार कड़वासरा मिनजानिब मुदई व कोई हाजिर नही मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि तहसील लोहावट के राजस्व ग्राम घमण्डाणियो की ढाणी में स्थित खसरा नम्बर 577 रकबा 4.6620 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 578 रकबा 5.3499 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित उम्मेदाराम पुत्र पेमाराम नाम के स्थान पर अमेदाराम पुत्र पेमाराम व प्रकाशचन्द्र पुत्र पनाराम नाम के स्थान पर प्रकाश भाम्भु पुत्र पनाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है कि

Scanned with CamScanner

उक्त खसरात के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित उम्मेदाराम पुत्र पेमाराम नाम के स्थान पर अमेदाराम पुत्र पेमाराम व प्रकाशचन्द्र पुत्र पनाराम नाम के स्थान पर प्रकाश भाम्भु पुत्र पनाराम दर्ज किया जावें तथा इसके नाम के आगे अंकित नाबालिग वल्दी इन्द्राज को डिलिट किया जाकर रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावें।

बीज ...X... मुताल्लिक ...X...बाबत् ......X...खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह......फीसदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक...X... को अदा करे।

बतसदीक मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.05.2024 जारी की गई।

मांगीलाल (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायल	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
निजान			निजान		

नोट :- इस खर्चे के फर्द पर कुल खर्च यह हो फरीकैन का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो व तो दर्ज किया जावे।

मांगीलाल (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner